

## न्यायालय नायब तहसीलदार, बाड़मेर ग्रामीण

क्रमांक:-राजस्व/2025/1989-1990

दिनांक :- 11/11/2025

प्रेषित:-


1. भू-अभिलेख निरीक्षक, कवास
2. पटवारी, पटवार हल्का कवास

विषय :- अतिकमी को बेदखल कर जुर्माना राशि वसूलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निम्नांकित अतिकमियों के विरुद्ध इस न्यायालय के निर्णय के द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिकमियों के विरुद्ध बेदखली एवं जुर्माना राशि वसूली करने के आदेश पारित किये गये हैं :-

क स	मु.नं०	प्रार्थी	विप्रार्थी	ग्राम	खसरा नम्बर	अतिकमि त रकबा हेक्टेयर में	जुर्माना रु.	निर्णय दिनांक
1	02/2025	पटवारी कवास	श्री तुलछाराम पुत्र लालाराम कौम राईका निवासी नागणेचिया दूण्डा	नागणेचियान दूण्डा	259	0.1781	7	11.11.2025
2	03/2025	पटवारी कवास	श्री शिवजीराम पुत्र श्री गोपाराम जाति राईका निवासी नागणेचियान दूण्डा, रावतसर	नागणेचियान दूण्डा	259	0.161874	7	11.11.2025
3	04/2025	पटवारी कवास	श्री प्रकाश, नीम्बाराम पिसरान हीराराम, वन्नूदेवी पत्नी हीराराम, डालुाराम, भानाराम, धर्मराम पिसरान कंवराराम, कबूदेवी पत्नी कंवराराम, मोहनलाल, हेमाराम, वुतराराम पिता हरजीराम, जेतीदेवी पत्नी हरजीराम कौम जाट निवासी नागणेचियान दूण्डा	नागणेचियान दूण्डा	259	0.2589	10	11.11.2025
4	5/2025	पटवारी कवास	श्री पुरखाराम, हरूराम, नानगाराम, लाधुराम, मघाराम, वगताराम पिता तुलछाराम कौम जाट निवासी नागणेचियान दूण्डा	नागणेचियान दूण्डा	259	0.1133	5	11.11.2025

अतः आप उक्त निर्णय की पालना में अतिकमी को अतिकमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करते हुए जुर्माना राशि वसूल करने की कार्यवाही कर पालना से तत्काल अवगत करावें।

  
(नायब तहसीलदार)

नायब तहसीलदार, बाड़मेर ग्रामीण

दिनांक :- 11/11/2025

क्रमांक:-राजस्व/2025/1991

प्रतिलिपि :- तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को मांग कायमी एवं जुर्माना राशि दर्ज करने हेतु।

  
नायब तहसीलदार, बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय नायब तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : भारूराम

राजस्व आवेदन सं. 02/2025

प्रार्थी-

बनाम

विप्रार्थी-

राज्य सरकार जरिये  
पटवारी कवास

श्री तुलछाराम पुत्र लालाराम कौम राईका  
निवासी नागणेचियान दूण्डा तहसील बाडमेर  
ग्रामीण

**राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

**निर्णय**

**दिनांक 11.11.2025**

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.06.2025 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2082 के दौरान ग्राम नागणेचियान दूण्डा के खसरा नम्बर 259 रकबा 3.1404 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.1781 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया।
03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर न ही उपस्थित हुआ न ही कोई लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है।
04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।
05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रुपये 0.14 का 50 गुना रुपये 7/- (अक्षरे सात रुपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।
06. **भू-अभिलेख निरीक्षक कवास एवं पटवारी कवास** को निर्देशित किया जाता है कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।
07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(भारूराम)

नायब तहसीलदार,  
बाडमेर ग्रामीण

न्यायालय नायब तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण  
पीठासीन अधिकारी : भारूराम

राजस्व आवेदन सं. 03/2025

प्रार्थी-

बनाम

विप्रार्थी-

राज्य सरकार जरिये  
पटवारी कवास


श्री शिवजीराम पुत्र गोपाराम कौम राईका  
निवासी नागणेचियान दूण्डा तहसील बाडमेर  
ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2025

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.06.2025 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2082 के दौरान ग्राम नागणेचियान दूण्डा के खसरा नम्बर 259 रकबा 3.1404 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.161874 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया।
03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर न ही उपस्थित हुआ न ही कोई लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है।
04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भूअ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।
05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रुपये 0.13 का 50 गुना रुपये 7/- (अक्षरे सात रुपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।
06. भू-अभिलेख निरीक्षक कवास एवं पटवारी कवास को निर्देशित किया जाता है कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।
07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



नायब तहसीलदार,  
बाडमेर ग्रामीण

न्यायालय नायब तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण  
पीठासीन अधिकारी : भारूराम

राजस्व आवेदन सं. 04/2025

प्रार्थी-

बनाम

विप्रार्थी-

राज्य सरकार जरिये  
पटवारी कवास


श्री प्रकाश, नीम्बाराम पिसरान हीराराम, वन्नु  
देवी पत्नी हीराराम, डालूराम, भानाराम,  
धर्माराम पिसरान कंवराराम, कबूदेवी पत्नी  
कंवराराम मोहनलाल, हेमाराम, चुतराराम  
पिता हरजीराम, जेती देवी पत्नी हरजीराम,  
कौम जाट निवासी नागणेचियान दूण्डा  
तहसील बाडमेर ग्रामीण

**राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

**निर्णय**

**दिनांक 11.11.2025**

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.06.2025 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2082 के दौरान ग्राम नागणेचियान दूण्डा के खसरा नम्बर 259 रकबा 3.1404 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.2589 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया।
03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर न ही उपस्थित हुआ न ही कोई लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है।
04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।
05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.20 का 50 गुना रूपये 10/- (अक्षरे दस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।
06. भू-अभिलेख निरीक्षक कवास एवं पटवारी कवास को निर्देशित किया जाता है कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।
07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(भारूराम)

नायब तहसीलदार,  
बाडमेर ग्रामीण

न्यायालय नायब तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण  
पीठासीन अधिकारी : भारूराम

राजस्व आवेदन सं. 5/2025  
प्रार्थी-

बनाम

विप्रार्थी-

राज्य सरकार जरिये  
पटवारी कवास


पुरखाराम, हरूराम, नानगाराम, लाधुराम,  
मघाराम, वगताराम पिता तुलछाराम कौम  
जाट निवासी नागणेचियान दूण्डा तहसील  
बाडमेर ग्रामीण

**राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

**निर्णय**

**दिनांक 11.11.2025**

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.06.2025 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2082 के दौरान ग्राम नागणेचियान दूण्डा के खसरा नम्बर 259 रकबा 3.1404 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.1133 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।
03. विप्रार्थी द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है।
04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।
05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.09 का 50 गुना रूपये 5/- (अक्षरे पांच रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।
06. भू-अभिलेख निरीक्षक कवास एवं पटवारी कवास को निर्देशित किया जाता है कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।
07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(भारूराम)

नायब तहसीलदार,  
बाडमेर ग्रामीण